

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1627/2017/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी-प्रथम,
प्रतिकरापंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एम. के. ट्रेडिंग कम्पनी,
ग्राम नाचनीपुरा (सेवा) मौजामाबाद, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. के. खदाव, उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस. एन. असावा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 54/अपील्स-III/16-17/सी में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.04.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रथम, प्रतिकरापंचन, संभाग-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2015-16 (17.10.2015 तक) के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 18.04.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच दिनांक 17.10.2015 को की जाने पर यह अभियोग स्थापित किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रुपये 5,27,712/- के कर योग्य फायर वर्क्स को करमुक्त दर्शाया है एवं रुपये 42,311/- के फायर वर्क्स की बिक्री नियमित लेखा-पुस्तकों से छिपाकर की गई है, ऐसी स्थिति में कर योग्य माल की बिक्री रुपये 5,27,712/- पर 15 प्रतिशत की दर से कर एवं कर की दुगुनी राशि की शास्ति आरोपित की गयी है, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत रखा गया तथा फायर वर्क्स की रुपये 42,311/- की स्टॉक से कम पाये गये माल की बिक्री मानते हुए किये गये करारोपण को अपास्त किया गया, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।



लगातार.....2

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित करने का कथन किया एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का मेरे समक्ष पठन किया।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की गई कोई भी खरीद बहियात से छिपाई नहीं गयी थी परन्तु रूपये 5,27,712/- की जो खरीद खादी ग्रामोद्योग इकाई से करमुक्त बिलों के जरिये की गयी थी, उसे करमुक्त खाते में दर्शाया गया क्योंकि व्यवसायी का यह मत था कि जो माल करमुक्त रूप में खरीद किया है वह करमुक्त है परन्तु उनके परिज्ञान में लाये जाने पर कि यह माल खादी ग्रामोद्योग इकाईयों के स्तर तक ही करमुक्त विक्रय के लिये पात्रता रखता है, जबकि वेट अधिनियम में ग्रामोद्योग इकाईयों से माल खरीद किये जाने के बाद उसके पुनः विक्रय पर प्रत्येक बिन्दु पर कर होने के कारण यह कर योग्य था। इस तरह उनके द्वारा खादी ग्रामोद्योग अधिसूचना के तहत गलत धारणा से इसे करमुक्त बताया गया, जिसे ध्यान में लाये जाने पर कर एवं ब्याज जमा करवा दिया गया परन्तु उनके द्वारा कोई भी संव्यवहार बहियात से नहीं छिपाया गया था ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसके अलावा यह कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा रूपये 1,16,10,633/- के स्थान पर बहियात के अनुसार दर्शाये गये स्टॉक की भौतिक गणना करते हुए यह माल रूपये 1,15,68,322/- का बताया था। इस तरह रूपये 42,311/- का स्टॉक कम आका गया जो अत्यन्त नगण्य है एवं उस माल की बिक्री मानते हुए उस पर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया था उसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि जांच अधिकारी द्वारा फर्म की जांच की जाने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की बहियात में फायर वर्क्स खरीद एवं बिक्री की समस्त प्रविष्टियां लेखा-पुस्तकों में की हुई थी परन्तु उस माल की खरीदी राज्य के भीतर की खादी ग्रामोद्योग इकाईयों से की जाने से वह करमुक्त खरीद थी अतः उन्हें करमुक्त खाते में दर्शाया गया। प्रत्यर्थी की यह त्रुटि स्पष्ट रूप से कर सम्बन्धी प्रावधानों की अज्ञानता को ही दर्शाता है एवं इस त्रुटि के परिज्ञान में आने के बाद इस पर कर एवं ब्याज जमा करवा दिया गया है एवं




लगातार.....3

कर दायित्व पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। इसीलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज यथावत रखा गया परन्तु व्यवहारी पर आरोपित शास्ति को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकर प्रबंधन जोन, जयपुर बनाम श्याम एजेन्सी एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं० 42/2014 निर्णय दिनांक 26.8.2014 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य एवं अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01 के आलोक में खारिज किया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं की गयी है क्योंकि व्यवहारी के समस्त संव्यवहार लेखा-पुस्तकों एवं विवरण-पत्रों में प्रदर्शित थे।

7. इसी तरह प्रकरण के दूसरे बिन्दु में व्यवहारी का यह कथन व्यवहारिक रूप से स्वीकार योग्य था कि रूपये 1,16,10,633/- के माल की जो भौतिक गणना की गई थी वह माल विभिन्न लोट्स में एवं कई सारे गोदामों में रखा हुआ था। प्रकरण में भौतिक सत्यापन में रूपये 1,16,10,633/- के माल में केवल रूपये 42,311/- का अन्तर आना नगण्य है। प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि जांच के दौरान व्यवहारी द्वारा किसी भी तरह की उच्चन्ति बिक्री किये जाने का कोई प्रमाण या साक्ष्य जांच अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में केवल भौतिक गणना के अत्यन्त नगण्य अन्तर पर उस माल की बिक्री मानकर करारौपण किया जाना अनुचित एवं अनपेक्षित है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने रूपये 42,311/- पर आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है, बल्कि न्यायिक आदेश पारित किया है।

8. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर अपीलीय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किये जाने से इसकी पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य